फाइल नं0-71-1001(099)/3/2021

159/2023/I/454587/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 22 दिसम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/670, दिनांक 30.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु रू0 217.24 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2269.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 द्वारा प्रदान की गयी। उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 1134.905 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021	518.99
2	126/2022/I/243242/2022-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 02.12.2022	300.00
3	96/2022/I/340999/2023-71-1001(099)/3/2021,दिनांक 29.06.2023	315.915
	योग-	1134.905

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनॉक 30.11.2023 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-789-09- राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राविधानित धनराशि रू0 302.97 लाख के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 217.24 लाख (रू0 दो करोड़ सत्रह लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्य मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से महानिदेशक एवं प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना एंव कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,17,24,000 (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037890900 राजकीय मेडिकल कालेज,आगरा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. समाज कल्याण विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।